न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्र० क्र० विविध —एक / 17

कमला आदि ----- आवेदकगण

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन ----- अनावेदक

<u>मूल सुधार बावत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32, म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959</u>

श्रीमान महोदय,

आवेदक की ओर से निम्न प्रार्थना है कि :-

1- यह कि, श्रीमान न्यायालय द्वारा निगरानी प्रकरण कमांक 2777-तीन/13 में दिनांक 15.07.2013 को आदेश पारित किया गया है, जिसमें आवेदक कमांक-2 धनुआ की भृत्यु दिनांक / / को हो चुकी थी लेकिन सूचना ना होने के कारण आवेदक कमांक-2 धनुआ तनय मौना जाटव के पक्ष में आदेश हो गया था, लेकिन मृत व्यक्ति के पक्ष में आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसलिये निगरानी प्रकरण कमांक 2777-तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में आवेदक कमांक-2 धनुआ तनय मौना जाटव के स्थान पर पुनिया बेवा धनुआ जाटव टंकित किया जावे।

अतः मान0 न्यायालय से प्रार्थना है कि निगरानी प्रकरण कमांक 2777-तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.2013 में आवेदक कमांक-2 धनुआ तनय मौना जाटव के स्थान पर पुनिया वेवा स्व0 धनुआ जाटव टंकित किये जाने की कृपा की जावे।

इति दिनांक 16/01/17

स्थान- ग्वालियर

द्वारा अभिभाषक

रजनी वशिष्ठ शर्मा

एडवोकेट

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक विविध 9020–एक/17 जिला–छतरपुर

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषको के हस्ताक्षर
16 .01.17	आवेदक के अधिवक्ता श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित। उनके द्वारा भूल सुधार आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 32 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता,1959 के तहत आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रकरण क्रमांक निगरानी 2777–तीन/13 में पारित आदेश दिनांक 15.07.13 में आवेदक क्रमांक 2 धनुआ तनय मौना जाटव की मृत्यु वर्ष 14 में हो गई थी। लेकिन सूचना ना होने के कारण धनुआ तनय मौना जाटव के स्थान पर पुनिया वेवा धनुआ जाटव टंकित किये जाने का अनुरोध किया है। 2– आवेदक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत खसरा की प्रतियों का अवलोकन किया । आवेदक अधिवक्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है। तथा धनुआ तनय मौना जाटव के स्थान पर पुनिया वेवा धनुआ जाटव टंकित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। यह आदेश पत्रिका आदेश का मूल अंग मानी जावेगी। सदस्य	